

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

क्रमांक :- दुरुस्ती/21/789

दिनांक24.11.21.....

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारीमेहराना..... भू. अभिलेख निरीक्षकमेहराना..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार.....शुनीदास की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....9.MRN..... तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत्.....2014-77..... में खाता संख्या.....113/104..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	9MRN	113/104	सवाईदान, भवानीदास पृथ्वीसिंह पित्तान शमरहनदास	सवाईसिंह, भवानीदास पृथ्वीसिंह पित्तान शमदान

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

दिनांक:24.11.21.....

क्रमांक:- सम/21/790-91

प्रतिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी/प्रार्थिया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़